संख्याः 460/XX(05)/10–07ना0सु0(बजट)/10

प्रेषक,

जे0पी0जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,नागरिक सुरक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक २५ नवम्बर, 2010

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–11 में नागरिक सुरक्षा विभाग हेतु प्रावधानित 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–सीजी–43/हो0गा0/2009/898 दिनांक 13–10–2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यद्यपि माह सितम्बर 2010 तक के व्यय–बचत विवरण पत्र अनुसार धनराशि उपलब्ध प्रतीत होती है तथापि शासनादेश सं0–153 /XX(5)10–07–ना0सु0/बजट/10 दिनांक 12 मई 2010 के अनुकम में श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2010–11 में नागरिक सुरक्षा विभाग के निम्नांकित अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत व्यय हेतु तदस्थान में वर्णित धनराशि रूपये रू0 2,31,000/–(रूपये दो लाख इकत्तीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन में रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

	मानक मद	धनराशि (हजार रू0 में)
1.	04–यात्रा व्यय	35
2.	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10
3.	08–कार्यालय व्यय	25
4.	11–लेखन सामग्री	15
5.	12–कार्यालय फर्नीचर	25
6.	26–मशीन साज–सज्जा	25
7.	31–सामग्री सम्पूर्ति	01
8.	42–अन्य व्यय	05
9.	44–प्रशिक्षण व्यय	25
10.	45–अवकाश यात्रा व्यय	25
11.	46–कम्प्यूटर कय	25
12.	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण	15
	योगः–(रूपये दो लाख इकत्तीस हजार मात्र)	**231**

2– वर्णित मदों के अन्तर्गत व्यय को यथासम्भव गत् वर्ष के व्यय की सीमान्तर्गत सीमित किया जायेगा। एवं इस हेतु मितव्यता के सम्बंध में निर्गत निर्देशों का अनुपालन करते हुए व्यय में मितव्यता बरती जायेगी।

3– जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व

ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय एवं यथास्थिति उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों की परिपालना की जाये।

4– बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अर्न्तगत् व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

5– व्यय करते समय वित्तीय नियमों एवं बजट मैनुवल के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।

6– जारी स्वीकृति के सापेक्ष व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग तथा गृह विभाग को प्रत्येक माह विलम्बतम 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

7– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुपालन संख्या–06 के अन्तर्गत लेखार्शीषक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–106–सिविल रक्षा–03–स्थापना (25 प्रतिशत केन्द्र पोषित)–00–आयोजनेत्तर की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–535NP/XXVII/(5)2010-11दिनांक 22.11.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(जे0पी0जोशी)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 460/XX(05)/10–07(ना0सु0)/10

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2–निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन।
3–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4–वित्त अनुभाग–1/5
5–एन0 आई0 सी0 सचिवालय परिसर।
6–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एस0चौहान)
अनु सचिव।